आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

16.2.19

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 218/2016–17

1. मो0 नुरूद्दीन व मो0 अयूब व मो0 अबराज व मो0 नईमउद्दीन, सभी पिता–स्व0 गुलाम नवी, ग्राम–पैकटोला, टोला करहारा, थाना–अररिया, जिला–अररिया – आवेदकगण

बनाम

1. अब्दुल रउफ व कजीबुर्रहमान व अजुबुर्रहमान व अब्दुल वहाव, सभी पिता–स्व0 समसुद्दीन, ग्राम–तिरहुतबीट्टा, थाना–अररिया, जिला–अररिया – विपक्षीगण

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक मो0 नुरूद्दीन एवं अन्य, सभी पिता–स्व0 गुलाम नवी, ग्राम–पैकटोला, टोला–करहारा, थाना–अररिया, जिला–अररिया की ओर से निम्न विवरण की जमीन का दर्ज जमाबंदी को रद्द करने हेतु अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में दिनांक 30.08.2016 को दाखिल किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 09.12.2016 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया तथा विपक्षीगणों को सूचना निर्गत की गई। सूचनोपरांत विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिउत्तर दाखिल किया। तत्पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

जमीन का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
तिरहुतबिट्टा थाना नं0 317 अंचल–अररिया	15	124 125	0.58 ए0 0.62 ए0 **कुल 1.20 ए0**

आवेदकगणों के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि का खयितान गुलाब नवी के नाम से प्रकाशित है तथा उनके नाम से जमाबंदी दर्ज होकर लगान रसीद निर्गत हो रही थी। प्रश्नगत खाता 15, खेसरा 124 से रकवा 58 डी0 एवं खेसरा 125 में 62 डी0 भूमि निबंधित दस्तावेज दिनांक 31.10.1974 द्वारा खतियानी रैयत ने फतुरी परिहर को बिक्री की गई। परन्तु क्रेता फतुरी परिहर ने समसुद्दीन को दस्तावेज दिनांक 17.05.1958 को खेसरा सं0 125 से रकवा 62 डी0 की जगह पर 80 डी0 भूमि बिक्री कर दी गई है। क्रेता समसुद्दीन के पुत्र अब्दुल रउफ है। जिन्होंने आवेदक के पिता गुलाम नवी के नाम दर्ज जमाबंदी को लाल कलम से घेर कर कर्मचारी द्वारा गलत ढ़ंग से बिना नामान्तरण के क्रेता समसुद्दीन वगैरह का नाम जमाबंदी में दर्ज कर दिया गया है।

आवेदक के अधिवक्ता का यह भी कहना है कि यह जमीन गुलाम नवी की

थी। इन्होंने अपनी पत्नी बीबी मदीना को दान पत्र दिनांक 25.02.1974 द्वारा दे दिया था। लेकिन सर्वे में खयितान गुलाम नवी के नाम दर्ज हो गया। उसी खतियान की प्रविष्टि के विरूद्ध गुलाम नवी के दो पुत्र नुरूद्दीन एवं अयूब ने T.S. वाद सं० 51/2000 मुंसफ न्यायालय, अररिया में दाखिल किया है, जो मुंसफ न्यायालय में अभी चल रहा हैं। इस तरह गलत खयितान के आधार पर गुलाम नवी ने फतुरी परिहार को भूमि बिक्री की गई और फतुरी परिहार ने प्रश्नगत भूमि अब्दुल रउफ को बिक्री की गई है। गलत रूप से गुलाम नवी के जमाबंदी को घेर कर समसुद्दीन का नाम अंकित कर दिया गया है, जिसे रद्द करने का अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि खयितान के अभ्युक्ति कॉलम में मौखिक बिक्री 1359 (मुल्की साल) दखल फतुरी परिहार, पिता–गोविन्द परिहार, जाति–मुसहर दर्ज हैं। खयितानी रैयत शे० गुलाम नवी ने खेसरा सं० 124 से फहीम को कुल रकवा 56 डी० दिनांक 17.05.1958 को बिक्री की गई और फहीम द्वारा समसुद्दीन, पिता–वारिसतुल्ला को दिनांक 31.10.1974 प्रश्नगत भूमि बिक्री की गई है। विपक्षी अब्दुल रउफ जो समसुद्दीन के पुत्र एवं वारिस है, भूमि पर दखलकार है। खतियानी रैयत गुलाम नवी द्वारा खेसरा सं0 125 से रकवा 62 डी0 भूमि दिनांक 31.09.1974 को फहीम परिहार को बिक्री की गई है, जिसपर विपक्षीगण दखलकार हैं तथा विधिवत नामान्तरण कराकर जमाबंदी कायम कराई गई है।

इनका यह भी कहना है कि जब प्रश्नगत भूमि पर T.S. वाद सं० 51/2000 चल रहा है तो यह जमाबंदी रद्दीकरण का वाद चलने योग्य नहीं है, जिसे खारिज करने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित दिवानी वाद सं० 51/2000 माननीय मुंसफ न्यायालय, अररिया में लंबित है तथा स्वत्व वाद के निस्तारण तक इस वाद की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, अररिया को भेजें।

लेखापित एवं संसोधित

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 38 / रा०(न्या०), अररिया, दिनांक 16 / 02 / 2019

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.2.19
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

M.T.C.